UPDCC

Uttarakhand Project Development And Construction Corporation Ltd.
उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड
Damuadhunga, Kathgodam (Nainital)
दमुवाढुंगा, काठगोदाम (नैनीताल)

पत्रांकः 202/ परि0प्र0 (ए–2)/पी0आई0यू0जे0/2025–26, दिनांकः 28/11/2025,

<u>अल्पकालीन नीलामी सूचना संख्या–03</u>

जनपद नैनीताल के हल्द्वानी विकास खण्ड के अन्तर्गत जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र की पाहा पोषक नहर का जीर्णोद्वार कार्य प्रगति पर है, जिसके अन्तर्गत पाहा पोषक नहर के (कि0मी0 0.000 से कि0मी0 4.585 तक) के मध्य विभिन्न प्रजाति के पेडों की नीलामी हेतु इच्छुक बोलीदाताओं से आवेदन दिनांक 05.12.2025 की अपराहन 2:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। नीलामी संबंधी बोलियां उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे बोलीदाताओं द्वारा समिति के समक्ष बोली जाएगी। नीलामी से सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	नीलामी हेतु वृक्ष		दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि	नीलामी की तिथि व समय	नीलामी दस्तावेज का शुल्क 18 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित (रू० में)	जमानत धनराशि जी0एस0टी0 रहित (रू0 में)
		प्रजाति	संख्या				
01	जनपद नैनीताल के हल्द्वानी विकास खण्ड के अन्तर्गत जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र की पाहा पोषक नहर के (कि0मी0 0.000 से कि0मी0 4.585 तक) के मध्य पेड़ों की नीलामी।	1.जामुन 2.पीपल	2 5	दिनांक 05.12.2025 समय अपराह्न 2:00 बजे	दिनांक 05.12.2025 समय अपराह्न 3:00 बजे	590/–	2,587.00/–
	कुल		7				

नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय व वेबसाइट (www.jamranidam.com) पर देखी जा सकती है।

परियोजना प्रबन्धक (ए–2)
पी0आई0यू0 जमरानी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को नीलामी सूचना की एक प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषितः–

1. महापप्रबन्धक, पी0आई0यू जमरानी,हल्द्वानी।
2. उपमहाप्रबन्धक–03 पी0आई0यू0जमरानी, हल्द्वानी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी।
5. परियोजना प्रबन्धक (सी0 सी0 सी0), वेब साईट पर अपलोड करने सम्बन्धी।
6. उपराजस्व अधिकारी, पी0आई0यू0 जमरानी, हल्द्वानी।
7. उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी,नैनीताल।
8. खण्ड विकास अधिकारी, हल्द्वानी, नैनीताल।
9. श्री दीपांशु जोशी, सहा0परि0प्र0, पी0आई0यू0 जमरानी, हल्द्वानी।
10. जिलेदार, पी0आई0यू0 जमरानी, हल्द्वानी।
11. श्री नीरज मिश्रा, क्षेत्रीय अभियन्ता पी0आई0यू0 जमरानी, हल्द्वानी।
12. नोटिस बोर्ड।

परियोजना प्रबन्धक (ए–2)
पी0आई0यू0 जमरानी

Office Address: Office of Project Manager (A2), Jamrani Dam Multipurpose Project, PIU Jamrani (UPDCC), Jamrani Colony, Damuadhunga, Haldwani,
Website: jamranidam.com, E-mail: pma2piuj@gmail.com, Ph. 97597 83993, 75999 99777

नियम एवं शर्तेः–

अल्पकालीन नीलामी सूचना–03,
दिनांकः– 28.11.2025,

1. नीलामी प्रक्रिया नियत तिथि व समय पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में नीलामी समिति द्वारा निष्पादित की जाएगी।
2. नीलामी में वही व्यक्ति/फर्म प्रतिभाग कर सकेंगे जिनके द्वारा नीलामी दस्तावेज प्राप्त कर उसको निर्धारित तिथि व समय तक कार्यालय में (जमानत धनराशि के साथ) जमा कर दिया है। जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी FDR के रुप में देय होगी जो **महाप्रबन्धक पी०आई०यू० जमरानी** के पदनाम से बंधक होगी।
3. नीलामी दस्तावेज अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्यालय समय में नियत शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
4. नीलामी दस्तावेज का शुल्क रु0 590/– डिमान्ड ड्राफ्ट के रुप में (दो डिमान्ड ड्राफ्ट रु0 500/– एवं रु० 90/–) **महाप्रबन्धक पी०आई०यू० जमरानी** के पदनाम से देय होगा।
5. उपरोक्त वृक्षों (पेड़ों) की नीलामी जैसा है वैसी स्थिति में नीलाम किया जाना है।
6. नीलामी के पश्चात सम्बंधित व्यक्ति को 30 दिवस के भीतर वृक्ष उठाना आवश्यक है। ऐसा न करने पर नीलामी निरस्त करते हुए पेड़ों को जब्त कर लिया जायेगा।
7. वृक्षों (पेडों) का आरक्षित मूल्य रु0 25,867.00 (जी०एस०टी० रहित) मात्र है। रु0 25867.00 से सबसे अधिक बोली लगाने वाले बोलीदाता को सफल घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता द्वारा लगाई गई बोली का मूल्य 18 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित (महाप्रबन्धक पी०आई०यू० जमरानी के पदनाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट के रुप में) एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा किया जाना होगा। जिसके उपरान्त ही सफल बोलीदाता के नाम नीलामी आदेश निर्गत होगा।
8. जिस व्यक्ति/फर्म के नाम पर नीलामी जारी होगी उसकी जमानत धनराशि वृक्ष उठाने के 1 सप्ताह के पश्चात वापस की जाएगी व शेष व्यक्ति/फर्म की जमानत धनराशि नीलामी दिवस के तीन दिन के भीतर लौटा दी जाएगी।
9. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक बोलीदाता नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्थल पर नीलाम होने वाले पेड़ों का भली भांति निरीक्षण कर लें। बाद में कोई क्लेम अथवा वाद स्वीकार नहीं होगा।
10. ऐसे ठेकेदार जिन पर सिंचाई विभाग का पूर्व का धन शेष है या उनके विरुद्ध कोई वाद दायर किया हो या अन्य किसी कारणवश विभाग द्वारा डिफाल्टर घोषित किया गया हो, उनको नीलामी में बोली लगाने का कोई अधिकार नहीं होगा।
11. नीलामी स्वीकार होने के पश्चात पेडों की रखवाली स्वयं ठेकेदार को करनी होगी। नीलाम हुए पेड़ों की चोरी होने पर ठेकेदार का कोई भी क्लेम, दावा स्वीकार नहीं होगा। किसी भी स्थिति के लिए बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
12. पेड़ों की जड़ों की खुदाई स्वयं ठेकेदार को करनी होगी।
13. पेड़ों के पातन सम्बन्धी अनुमति प्राप्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त पेड़ों की निकासी/अन्य औपचारिकताऐं/कार्यवाही बोलीदाता को स्वयं अपने स्तर पर पूरी करानी होगी।
14. बोलीदाता को नीलामी स्थल पर प्रवेश हेतु पहचान पत्र (आधार कार्ड) लाना अनिवार्य है। बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को नीलामी स्थल पर प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।
15. नीलामी के दिवस पर अवकाश होने की स्थिति में नीलामी प्रक्रिया अगले कार्य दिवस पर की जाएगी।
16. सशर्त नीलामी पर विचार नहीं किया जायेगा।
17. अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी कारण बताये इस नीलामी को प्रत्येक स्तर पर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
18. नीलामी में भाग लेने हेतु केवल बोलीदाता/उनके अधिकृत प्रतिनिधि को ही नीलामी स्थान में प्रवेश करने दिया जायेगा।
19. भविष्य में इस प्रकार की नीलामी सम्बन्धी सभी जानकारियां वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
20. अधिक जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी/उप राजस्व अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

परियोजना प्रबंधक ए–2,
पीआईयू, जमरानी,